बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका संख्या-स०क०निग०-274/2025 -...................../ जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-968-1/गो० दिनांक-28.07.2025 द्वारा प्राप्त पत्र में उल्लेखित है कि दिनांक-24.07.2025 को जिला पदाधिकारी, सुपौल के संज्ञान में यह बात आई कि श्रीमती शोभा सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं से अवैध राशि की माँग की जा रही है तथा दिनांक-24.07.2025 को राशि कार्यालय में हीं देने हेतु निदेशित किया गया।

जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा तत्क्षण कार्यालय के पत्रांक-960-1/गो० दिनांक-24.07.2025 द्वारा इन्द्रवीर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल एवं श्रीमती ज्योति गामी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुपौल सदर को संयुक्त रूप से जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-463/सपत्र दिनांक-25.07.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक-24.07.2025 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, सुपौल की जॉच छापेमारी की गई। जिसमें नगद राशि प्राप्त होने के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुपौल सदर के द्वारा श्रीमती शोभा सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल एवं श्री चंदन कुमार, कार्यपालक सहायक के विरूद्ध स्थानीय सुपौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई।

दर्ज सुपौल थाना काण्ड सं०-384/25 दिनांक-24.07.2025 धारा-7 (A) (B)/P.C act में उक्त दोनो प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक-25.07.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नवनियुक्त पर्यवेक्षिकाओं यथा-1. रंजना कुमारी, 2. पूनम कुमारी, 3. विभा देवी ने स्वीकार किया है कि स्थायी नियुक्ति के लिए क्रमशः 24,000/-, 25000/-, 25000/- रूपये एवं अन्य पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा घुस के रूप में श्रीमती सिन्हा एवं श्री चंदन कुमार को दिया है। तलासी के क्रम में श्रीमती सिन्हा के पर्स से कुल-19200/- रू० एवं उनके कार्यालय 171000/- रू० की बरामदगी हुई।

उक्त तथ्यों के आलोक में उच्च पद पर रहते हुए श्रीमती सिन्हा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध राशि की उगाही की गई है। इनका यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 (i)(ii)(iii) एवं भ्रष्टाचार अधिनियम-1988 (यथा संशोधित) के प्रतिकूल होने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-6160 दिनांक-14.08.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानो के तहत इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती शोभा सिन्हा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति निलंबन अवधि का मुख्यालय- प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाॅ प्रमण्डल पूर्णियाॅ को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती सिन्हा को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबनमुक्ति के पश्चात अपना योगदान विभागीय मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें।
2. निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-274/2025- 4143 पटना-15 दिनांक :- 27.07.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/7/26
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका संख्या-स०क०निग०-274/2025 -...................../ जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-968-1/गो० दिनांक-28.07.2025 द्वारा प्राप्त पत्र में उल्लेखित है कि दिनांक-24.07.2025 को जिला पदाधिकारी, सुपौल के संज्ञान में यह बात आई कि श्रीमती शोभा सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल द्वारा नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं से अवैध राशि की मॉग की जा रही है तथा दिनांक-24.07.2025 को राशि कार्यालय में हीं देने हेतु निदेशित किया गया।

जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा तत्क्षण कार्यालय के पत्रांक-960-1/गो० दिनांक-24.07.2025 द्वारा इन्द्रवीर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल एवं श्रीमती ज्योति गामी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुपौल सदर को संयुक्त रूप से जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-463/सपत्र दिनांक-25.07.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक-24.07.2025 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, सुपौल की जॉच छापेमारी की गई। जिसमें नगद राशि प्राप्त होने के उपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुपौल सदर के द्वारा श्रीमती शोभा सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल एवं श्री चंदन कुमार, कार्यपालक सहायक के विरूद्ध स्थानीय सुपौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई।

दर्ज सुपौल थाना काण्ड सं०-384/25 दिनांक-24.07.2025 धारा-7 (A) (B)/P.C act में उक्त दोनो प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक-25.07.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नवनियुक्त पर्यवेक्षिकाओं यथा-1. रंजना कुमारी, 2. पूनम कुमारी, 3. विभा देवी ने स्वीकार किया है कि स्थायी नियुक्ति के लिए क्रमश: 24,000/-, 25000/-, 25000/- रूपये एवं अन्य पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा घुस के रूप में श्रीमती सिन्हा एवं श्री चंदन कुमार को दिया है। तलासी के क्रम में श्रीमती सिन्हा के पर्स से कुल-19200/- रू० एवं उनके कार्यालय 171000/- रू० की बरामदगी हुई।

उक्त तथ्यों के आलोक में उच्च पद पर रहते हुए श्रीमती सिन्हा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध राशि की उगाही की गई है। इनका यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 (i)(ii)(iii) एवं भ्रष्टाचार अधिनियम-1988 (यथा संशोधित) के प्रतिकूल होने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-6160 दिनांक-14.08.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानो के तहत इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती शोभा सिन्हा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति निलंबन अवधि का मुख्यालय- प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियॉ प्रमण्डल पूर्णियॉ को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती सिन्हा को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबनमुक्ति के पश्चात अपना योगदान विभागीय मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें।
2. निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-274/2025- पटना-15 दिनांक :-

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-274/2024- 4143 पटना-15 दिनांक :- 27.7.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी/पूर्णियाँ/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, सुपौल / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती शोभा सिन्हा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति निलंबन अवधि का मुख्यालय- प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।